न्यायालय : सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़।
पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारेठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 28/2020
अनवान

सुनील पचार पुत्र होशियारसिंह जाति जाट निवासी हुणपतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। – वादी

बनाम

1 होशियारसिंह पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

2 प्रीतम पुत्री होशियारसिंह जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील भादरा।

3 सीया पुत्री होशियारसिंह जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील भादरा।

4 विजेता पुत्री होशियारसिंह जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एंव रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति : श्री मुन्शीराम गोस्वामी एडवोकेट : वादी
श्री सुरजीत बिजारणिया एड. प्रति0

निर्णय दिनाक : 13-3-2020

संक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा हुणपतरा के खाता सं0 70/70 के खसरा सं0 21/1 की 7.588 हैक्टेयर खसरा सं0 80 की 6.829 हैक्टेयर खसरा सं0 138/1 की 3.756 हैक्टेयर कुल किता 3 की 18.173 हैक्टैयर बारानी खातेदारी मे प्रतिवादी होशियारसिंह के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। वादी एंव प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम एंव हिन्दू मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा अमीलाल उर्फ इमलाल की खातेदारी हुआ करती थी। जिसमे वादी का भी प्रतिवादीगण के साथ वाद[illegible] जन्म से हक अधिकार है जिसमे वादी प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 प्रत्येक [illegible] – 1/30 हिस्सा बनता है। उक्त [illegible] का पारिवारिक [illegible] प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 ने वादभूमि मे अपना जो हक हिस्सा था वह वादी के पक्ष मे तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया जिस पर वादभूमि मे वादी को 4/30 हिस्सा एंव प्रतिवादी सं0 1 को 1/30 हिस्सा भूमि प्राप्त हो गई तथा प्रतिवादी होशियारसिंह के उक्त वादभूमि के अलावा रोही हुणतपुरा के ही खाता स0 32/35 मे

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:45:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

119–1/2 हिस्सा भूमि आ गई थी परंन्तु रिकार्ड माल मे कुल वादभूमि आज भी प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज चली आ रही है। जिसमे वादी के अधिकारों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने अपनी तरफ से राजीनामा पेश किया एंव वादी के दावा का कोई खण्डन पेश नही किया। जिस पर पत्रावली मे कोई विवाधक बनने नही पाये गये।

साक्ष्य वादी मे पी डब्लु – 1 सुनील पचार के बयान करवाये गये एंव दस्तावेजी साक्ष्य मे वादभूमि की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 2075 प्रदर्श 1 व जमावन्दी सम्वत 2038 प्रदर्श 2 तथा ग्राम पंचायत द्वारा सदस्य प्रमाण पत्र को अपनी साक्ष्य मे प्रदर्शित करवाा। साक्ष्य वादी समाप्त करने के उपरान्त बहस वकील वादी एंव प्रतिवादीगण सुनी गई।

दोराने बहस वकील वादी ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमे वादी एंव प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 का जन्म से हक एंव अधिकार है, जिसमे प्रतिवादी सं0 2 ता 4 ने वादभूमि मे अपना जो हक हिस्सा था उसे वादी के पक्ष मे त्याग कर दिया है। वादी के दावा का प्रतिवादी पक्ष के द्वारा कोई खण्डन नही किया गया है एंव वाद वादी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है, इसलिये वाद वादी डिक्री किया जावे।

बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली मे पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोक[illegible] वादभूमि जो प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज है वह उसे [illegible] से विरासतन मे मिली होना साबित है तथा पत्रावली [illegible] प्रमाण पत्र के आधार पर प्रतिवादी[illegible] सं0 2 ता 4 जो [illegible] वादी की सगी बहने है जिन्होने अपना हक हिस्सा वादी के प[illegible] छोडने का कथन किया है जिस पर कुल वादभूमि पॉच भागो मे थी जिसमे से वादी को अपनी बहनों वाली भूमि मिलने पर वादी को 4/30 हिस्सा एंव प्रतिवादी सं0 1 होशियारसिंह को 1/30 हिस्सा भूमि

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:45:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सुनील पचार बनाम होशियारसिंह आदि

प्राप्त हुई है। वादी एंव प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 के अलावा प्रतिवादी होशियारसिंह के अन्य कोई पुत्र पुत्री नही है। इस प्रकार वादी अपने दावा को साबित करने मे सफल रहे है।

अत : वाद वादी डिक्री किया जाकर यह घोषणा की जाती है कि रोही मोजा हुणपतरा के खाता सं0 70/70 के खसरा सं0 21/1 की 7.588 हैक्टेयर खसरा सं0 80 की 6.829 हैक्टेयर खसरा सं0 138/1 की 3.756 हैक्टेयर कुल किता 3 की 18.173 हैक्टैयर बारानी खातेदारी मे प्रतिवादी होशियारसिंह के नाम से दर्ज 1/6 हिस्सा की बजाय उक्त खाता मे वादी सुनील पचार 4/30 हिस्सा एंव प्रतिवादी होशियारसिंह 1/30 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है। चूँकि प्रतिवादी सं0 2 ता 4 ने वादभूमि मे अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष मे त्याग दिया है, इसलिये त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि वादभूमि किसी बैंक आदि के रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी के नाम से 4/30 हिस्सा व प्रतिवादी होशियारसिंह के नाम से 1/30 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करेंगें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनाक 13-3-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:45:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ।

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 28/2020

अनवान

सुनील पचार पुत्र होशियारसिंह जाति जाट निवासी हुणपतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। — वादी

बनाम

1 होशियारसिंह पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2 प्रीतम पुत्री होशियारसिंह जाट निवासी हुणतपुरा तहसील भादरा।
3 सीया पुत्री होशियारसिंह जाट निवासी हुणतपुरा तहसील भादरा।
4 विजेता पुत्री होशियारसिंह जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील भादरा। — प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी एंव वकील प्रतिवादीगण श्री सुरजीत बिजारणिया की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा यह घोषणा की जाती है कि रोही रोही मोजा हुणपतरा के खाता सं0 70/70 के खसरा सं0 21/1 की 7.588 हैक्टेयर खसरा सं0 80 की 6.829 हैक्टेयर खसरा सं0 138/1 की 3.756 हैक्टेयर कुल किता 3 की 18.173 हैक्टैयर बारानी खातेदारी मे प्रतिवादी होशियारसिंह के नाम से दर्ज 1/6 हिस्सा की बजाय उक्त खाता मे वादी सुनील पचार 4/30 हिस्सा एंव प्रतिवादी होशियारसिंह 1/30 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ता 4 ने वादभूमि मे अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष मे त्याग दिया है, इसलिये त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयुटी अदा करने व यदि वादभूमि किसी बैंक आदि के रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी सुनील पचार के नाम से 4/30 हिस्सा व प्रतिवादी होशियारसिंह के नाम से 1/30 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड [illegible] किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन [illegible]

पर्चा डिक्री [illegible] को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय की मुद्रा से जारी की [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:45:17 IST
Reason: SelfAttested

सही/-
(मुकेश बारैठ)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) आरएएस
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रै[illegible]

Scanned with CamScanner